<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थन, बीकानेर</u>

<u>परिपत्र</u>

विभाग द्वारा प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों पर वर्ष 2015 में प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पदों तथा व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष पदों से पदोन्नतियां की जाकर पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों की पालना में किसी कार्मिक द्वारा पदोन्नति परित्याग किये जाने अथवा अन्य कारण से पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने से परित्याग की श्रेणी में माने जाने एवं वर्तमान में प्रधानाध्यापक मावि एवं समकक्ष पद तथा व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष पद पर कार्यरत हैं तो प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2018.19 के लिए तैयार की गई पात्रता सूची में उनका नाम उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्मिलित कर लिया गया हैं। सम्बन्धित कार्मिक विभाग की वेब–साईट अथवा संबंधित उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में उक्त पात्रता सूची में अपना नाम अवलोंकन कर सकते हैं। यदि किसीं कार्मिक का नाम उक्त पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने से रह गया हैं तो वह अपना पूर्ण विवरण निम्नांकित प्रपत्र में नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दिनांक 06.04.2018 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें तथा विभाग की ई–मेल आई डी ao.abdpc@gmail.com पर PDF/xlsx/docx फार्मेट में भी भेज सकते हैं।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक		वरिष्ठता वर्ष	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	जाति वर्ग	पु/म	विषय	डीपीसी/सीधी भर्ती	District	Name of School/Office	Block	Employee ID	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

निश्चित दिनांक 06.04.2018 तक सूचना प्राप्त नहीं होने पर पात्रता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किये जाने की स्थिति में कार्मिक स्वयं जिम्मेवार होगा। सूचित होंवे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/बी–3/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2018.19 दिनांक– 26.03.2018

प्रतिलिपि

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार हेतु।
2. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर/ निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर/ को अधीनस्थ विद्यालयों/कार्यालयों में व्यापक प्रचार हेतु।
3. निदेशक एसआईईआरटी उदयपुर आपके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के संबंध में उक्त सूचना संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर/बीकानेर आपके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के संबंध में उक्त सूचना संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
5. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्र/पात्रता सूची आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों की ईमेल आईडी पर प्रेषित करे ताकि सभी संबंधित अविलंब इससे सूचित होवें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब–साईट (राजशिक्षा एवं राजरमसा) पर तुरन्त प्रकाशित करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर

D:\B-3 CSM1\DPC-18_19\PRI_Letter17-18.Docx